निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 883) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई 2015

सं० 22/नि0सि0(पू0)–01–12/2010/1685––श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ द्वारा पदस्थापन अवधि के दौरान महानंदा तटबंध के कार्य से संबंधित निविदा सं0–01/2010–11 में बरती गयी अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आलोक में समीक्षोपरान्त निविदा को निहित स्वार्थ के लिए निस्तारित करने एवं आवश्यक कार्य सम्पादन की मात्रा को एस0 बी0 डी0 के प्रावधान के विपरीत किसी खास संवेदक को लाभ पहुँचाने हेतु कम करके निर्धारित करना जैसे प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए उनसे पत्रांक 1075 दिनांक 01.10.12 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि इस निविदा में मुख्य भूमिका श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता की रही है और सभी प्रकार की कार्रवाई श्री सक्सेना के स्तर से किया गया है। श्री सक्सेना द्वारा नियम के विरूद्ध निम्न कार्रवाई की गयी।

(1) यह निविदा महानंदा नदी के बाँयें एवं दाँयें तटबंध के उच्चीकरण से संबंधित था और इसका पूर्ण कार्यक्षेत्र कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अधीन था तब निविदा आमंत्रण कार्यपालक अभियंता के स्तर से निर्गत होना चाहिए था परन्तु इस मामले में मुख्य अभियंता द्वारा निविदा आमंत्रित की गई।

(2) निविदा के लिए एस0 बी0 डी0 के प्रावधान 4.5 'ए' के अनुसार न्यूनतम मात्रा 50% होना चाहिए था और पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2106 दिनांक 21.01.07 के अनुसार संवेदकों की कमी होने पर इसे कार्यपालक अभियंता को कम करने का अधिकार दिया गया है परन्तु मुख्य अभियंता द्वारा पहली बार में ही इसे Arbitrary रूप से मिट्टी कार्य हेतु 28.75% और ब्रिक कार्य हेतु 14.98% निर्धारित किया गया। नियमानुसार प्रथम निविदा में एस0 बी0 डी0 के प्रावधान के अनुसार ही न्यूनतम मात्रा रखी जानी चाहिए थी परन्तु मुख्य अभियंता द्वारा प्रथम बार में ही Arbitrary ढंग से कार्यानुभव की मात्रा घटा दी गयी, जिसके लिए उन्हें शक्ति प्रदत्त नहीं थी।

(3) निविदा प्राप्ति की तिथि 22.04.10 निर्धारित थी परन्तु तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा निविदा प्राप्ति की तिथि 30.04.10 तक बढ़ा दी गयी और प्रकाशन समचार पत्रों में दिनांक 23.04.10 एवं 25.04.10 को किया गया। जबकि निविदा खरीदने की तिथि यथावत (21.04.10) ही रखी गयी। यदि निविदा प्राप्ति की तिथि बढ़ायी जानी चाहिए थी तो इसे 22.04.10 के पूर्व बढ़ाना चाहिए था और निविदा बिक्री की तिथि भी तदनुसार बढ़ायी जानी चाहिए थी। निविदा की तिथि 22.04.10 को बढ़ायी गयी और M/s GSCO Infra Pvt. Ltd., Chandigarh द्वारा दिनांक 23.04.10 को निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया गया, यह मात्र संयोग नहीं हो सकता।

इस तरह सम्यक समीक्षोपरान्त निविदा आमंत्रण से लेकर निविदा निस्तार तक श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा नियम के विरूद्ध कार्रवाई करने का उपरोक्त आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 186 दिनांक 20.01.15 द्वारा श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ को निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः–

''दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नत्तर प्रक्रम पर अवनति''

उपरोक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सक्सेना द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद को संचिकास्त करने के विभागीय निर्णय के पश्चात पुनः जाँच करने एवं दंडादेश पारित करने से निजी स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए विभागीय परेशानी उत्पन्न करने की मंशा रखने वाले तथ्यों को प्रोत्साहन मिला है। श्री सक्सेना का उक्त तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि परिवाद को संचिकास्त करने अथवा जाँच कराने का निर्णय परिवाद में वर्णित तथ्यों की गंभीरता पर निर्भर करता है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद पर जाँच नहीं कराने के निदेश का अनुपालन करना विभाग की बाध्यता नहीं है। बेनाम एवं छद्मनामी परिवाद के तथ्यों के आधार पर जाँच कराने का विभागीय निर्णय सही है। उक्त तथ्य के अलावा श्री सक्सेना द्वारा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। पूर्व में दिये तथ्यों का ही पुनः उल्लेख किया गया है। इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरान्त श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए पूर्व में संसूचित दण्ड ''दो वर्षो के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतम प्रक्रम पर अवनति'। को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।'

उक्त निर्णय के आलोक में श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित दण्ड को यथावत रखने का आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 883-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in